

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत महाप्रभु उलकेश एंव S.O.O. मुकाम बापट

अणदाराम बनाम राकराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. आवेदन 111, 128 नं. 175 सन् 2019
RLR ACT

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7.6.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>येताराम जाखड़</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>26/06/19</u> को पेश हो।</p>	
26/06/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राथीगणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्ति जितने शामिल पत्रावली सीमा गया। विप्राथीगण जाकजुड तामील अनु उपस्थित। न्यायालय समग्र तीन बार कावाज लगाई गई अनिलम कावाज 5-45 PM पर लगाई गई विप्राथीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट हाजिरी फिल में लाई जारी है। अतः यादव वदम पत्रावली दिनांक 17/07/19 को पेश हो।</p>	
17/07/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राथीगण अनुग-मामान पीठाधीन अधिवक्ता हिरा हाथी के वास्ते होने के निमित्त ईलवा होकर कागापी दिनांक 13/08/19 को पेश हो।</p>	

13/08/19

प्राची वहील उपस्थित। विप्राधीगण अनुपस्थित।
हीनत पंजाबीन दक्षिणारी डिग्नर प्राची मे व्यत्य होने
रत मिश्राल ईलावा डोडर मागणी दिनांक 06/11/19 के
पेवा हा। १

कमांक/वाट

6/11/19

प्राची वकिल उपस्थित / विप्राधीगण अनु-
पस्थित / प्राची के अधिवक्ता की प्रकृतीय वत्सन सुनी
गई प्राची के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि
प्राची व विप्राधीगणों के खेत सेठा सेठ आये हुए हैं प्राची
व विप्राधीगणों के सेठों पर जो पुरानी माठे व कणे
आए हुए थे जो वर्तमान में आंघियों की वजह से बिखर
गये हैं। ~~वर्तमान~~ जिससे प्राची व विप्राधीगणों के सेठों
का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। वर्धात की आवक होने पर
विप्राधीगण प्राची के सेठों को तोड़कर प्राची के खातेदारी
खेत में खेती कर लेते हैं। जिससे प्राची व विप्राधीगणों के
बीच में तनाजा बना रहता है। इस कारण प्राची को
अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबद्धी करवाना आव-
श्यक है। इसलिये प्राची द्वारा प्रस्तुत नेखमबद्धी आवेदन
को स्वीकार किया जाकर नेखमबद्धी आदेश किया जिन।

अतः प्राची का नेखमबद्धी आवे-
दन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार वायतु को कमि-
शनर व सम्बन्धित भू- अभिलेख निरीक्षक को सहायक
कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है
कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्राची के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबद्धी भौके पर कमिशनर
शुल्क रूपये 500/- जमाकराकर करे। पालाना रिपोर्ट
प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली केसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दायिल दक्तर
हो।

(Handwritten signature)
सहायक कमिशनर (SDO)
वायतु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 050

दिनांक:- 6/11/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अणदाराम पुत्र आदूराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. ठाकराराम पुत्र उमाराम वगैरा जाति जाट
निवासी धोलानाड़ा बोड़वा
तहसील बायतु(बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 175/19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धोलानाड़ा पटवार हल्का बोड़वा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 162/93 रकबा 16.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे ईजलास सुनाया गया।

क्रमांक/वाद/2019/ 057-55

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री अणदाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री ठाकराराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 6/11/19

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner

